न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 54/2020
दायर दिनांक: 31.08.2020

उनवान

1. धापू देवी पत्नि मोडा तेली निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीया

बनाम

1. ग्रामविकास पंचायत जोजवा जरिये सचिव ग्राम पंचायत जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा में स्थित भूमि आराजी संख्या 2577/2063 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता कदीमी समय से है। उक्त रास्ता वर्तमान खुलासा है। मौके पर 20 फीट चौड़ा रास्ता का वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने के लिये विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नम्बर 441 दक्षिणी मेर पर होते हुये प्रार्थीया की आराजी नम्बर 2577/2063 पर पहुँचता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। परन्तु विपक्षी संख्या 1 की भूमि आराजी नम्बर 441 सरकारी (चरागाह) होने से आये दिन उक्त रास्ते पर गांव के लोग अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर देते है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 441 की दक्षिणी से उत्तरी मेर तक 20 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। दिनांक 25.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/166 दिनांक 22.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा के आराजी संख्या 2577/2063 [illegible] के लिये अप्रार्थी की आराजी संख्या 441 (चरागाह) में 20 फिट चौड़ें रास्ते [illegible] प्रार्थीया द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम नही है। प्रार्थी [illegible] के लिये गै0मु0 144 से आराजी संख्या 2389/431 खातेदारी भूमि, [illegible]/431 गै0मु0 रास्ता, 2063 [illegible] खातेदारी भूमि के दक्षिणी मेर पर 15 फिट चौड़ा रास्ता [illegible] के पर चालू है। तथा आने [illegible] कोई समस्या नही है। उपरोक्त रास्ता ही लघुतम है। प्रार्थी की भूमि पर पंहुचने के लिये मांगे गए रास्ते में अप्राथी के खाते की भूमि आराजी संख्या 441 रकबा 3.3832 हैक्टेयर भूमि चरागाह में 0.1227 हैक्टेयर भूमि का उपयोग प्रस्तावित रास्ता हेतु होगा। रास्ते हेतु कुल 16 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जो चरागाह भूमि में है। आराजी संख्या 441 चरागाह भूमि में से रास्ता दियश जाता है तो प्रार्थीया द्वारा चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अपनी आराजी

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 2577/2063 रकबा 0.8579 हैक्टेयर भूमि जो कि सिंचित है तथा ग्रामीण बैंक शाखा भण्डनी के रहन दर्ज है। को चरागाह हेतु समर्पण किया जाना होगा।

दिनांक 12.02.2021 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 2577/2063 पर पंहूचने के लिए गै0मु0 144 से आराजी संख्या 2389/431 खातेदारी भूमि, 2595/431 गै0मु0 रास्ता, 2063/442 खातेदारी भूमि के दक्षिणी मेर पर 15 फिट चौड़ा रास्ता मौके पर चालू है। तथा आने जाने में कोई समस्या नही है। तथा प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 441 में से रास्ता मांगा गया है, जो चरागाह भूमि है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में अन्य वैकल्पिक व लघुतम रास्ता होने एवं मांगे गये रास्ते की किस्म चरागाह होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner